न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

GCMS No.–2019/00067

अपील संख्याः 13/2029

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. लालचन्द
2. मोहन लाल पुत्र स्व. लालचन्द
3. गोपाल पुत्र स्व. श्योनारायण

जातियान–ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगाानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. छीतरमल पुत्र स्व. श्री जगदीश
2. रामेश्वर पुत्र श्रवण

जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम हरबंशपुरा, पंचायत जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 01.06.1989 द्वारा न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर जयपुर अर्न्तगत प्रकरण संख्या निल जिसके तहत पर्चा खातेदारी खाता संख्या 16 में खसरा नंबर 57, 72, 73, 78, 79, 82 व 83 वाके ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातदोरी खारिज कर मृतक जगदीश के नाम खातेदारी दर्ज फरमा दी गयी।

उपस्थितः–

1. श्री पुरूषोत्तम शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री हेमन्त सोगोनी अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.07.2024

अपीलांट ने यह अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर द्वारा बाबत साबिक खसरा नंबर 39 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर के संबंध में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 01.06.1989 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2019 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गयी। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हेमन्त सोगानी उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के पत्रांक दिनांक 22.11.2019 अनुसार अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली का रिकॉर्ड पढने लायक नहीं होने से भिजवाया जाना संभव नहीं होने बाबत जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 39 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि रामजीलाल,

लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्योनारायण तथा जगदीश दत्तक पुत्र महादेव, निवासीयान हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के कब्जे–काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। उक्त भूमि में से 1/2 भाग की भूमि को अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलांट संख्या 3 एवं रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा शामलाती रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1976 को हरिनारायण, रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्योनारायण एवं जगदीश पुत्र महादेव से तयशुदा प्रतिफल राशि अदा कर 3 बीघा दो बिस्वा पक्की में से हिस्सा 1/2 भाग को क्रय किया गया था। उक्त क्रय के पश्चात केतागण लालचन्द पुत्र कानाराम, रामेश्वर पुत्र श्रवण व गोपाल पुत्र श्योनारायण के हक में दिनांक 16.02.1977 को क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण खोला गया व उक्त नामान्तकरण आदेश की अनुपालना में जमाबन्दी संवत् 2026 में केता का नाम बतौर खातेदार दर्ज एवं अंकित किया गया। इसके पश्चात माह जुलाई 1989 से सेटलमेन्ट की कार्यवाही आरम्भ की गई व उक्त खसरा नंबर 39 के नये खसरा नंबर 57, 72, 73, 78, 79, 82 व 83 कायम किये गये। उक्त सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान मातहत अधिकारी के आदेश दिनांक 01.06.1999 की पालना में अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलांट संख्या 3 तथा रेस्पा0 संख्या 2 की क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 57, 72, 73, 78, 79, 82 व 83 कुल किता 8 कुल रकबा 0.83 ऐयर की खातेदारी खारिज कर रेस्पा0 संख्या 1 के पिता जगदीश पुत्र महादेव जाति बागडा के नाम दर्ज किये जाने का जमाबन्दी खतौनी में नोट अंकित कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने के उपरान्त अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली हेतु सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 29.07.1995 को आवेदन किया गया। किन्तु उक्त आदेश की पृथक से कोई पत्रावली कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण अपीलांट्स को आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट संख्या 3 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 01.06.1989 के विरूद्ध एक निगरानी याचिका संख्या 701/95 पेश की गयी जो कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी सक्षम न्यायालय में पेश करने के स्थान पर सीधे राजस्व मण्डल में पेश किये जाने के आधार पर दिनांक 16.12.1995 को खारिज फरमा दी गयी। तत्पश्चात राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.1995 के विरूद्ध अपीलांट्स ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन संख्या 1519/1997 पेश की एवं उक्त रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि – **"In view of the statement made: writ application is dismissed as wi with liberty to avail of remedy of appeal in accordance with law"** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दिये जाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी है। अपीलांट्स एवं रेस्पा0 संख्या 3 की क्रयशुदा भूमि जिसका राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकन हो चुका था उसे ए.एस.ओ. सांगानेर द्वारा बिना किसी रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये व बिना मौके की जांच किये आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ए.एस.ओ. द्वारा मिसल

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम) जयपुर 3/7/24

बन्दोबस्त खाता संख्या 16 पर नोट दर्ज कर पारित किया गया है उक्त आदेश के बाबत किसी प्रकार की कोई पत्रावली संधारित नहीं की गयी और ना ही कोई रिकॉर्ड जमा करवाया गया इसलिए ए.एस.ओ सांगानेर का अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.1989 अपास्त फरमाया जाकर अपीलाधीन भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 2 के संयुक्त नाम से दर्ज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018(2)RRT&1514, RRD1994 page 129, RRD1982 page665, RRD1980 page 48, RRD1975 page 493, आदि पेश किये।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 ने ए.एस.ओ. सांगनेर द्वारा तत्समय की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है एवं पत्रावली भी अनुपलब्ध है। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि के रेस्पा0 संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है यदि अपीलांट्स को इस स्तर पर किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की फरमायी जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन आदेश के संबंधित पत्रावली अनुपलब्ध है। अपीलाधीन प्रकरण में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा तथ्यो एवं रिकॉर्ड की जांच किया जाना जाहिर नहीं होता है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश से संबंधित सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर की मूल पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निरस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व रिट दायर की थी एवं उच्चतर न्यायालयो द्वारा अपने आदेश में अपीलांट्स को अपील हेतु स्वतंत्रता प्रदान की है। इसलिए न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अनुसार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की प्रथम अपील जिला कलक्टर को सुनवाई का अधिकार होने से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित निर्णय की प्रथम अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 39 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा की खातेदार काश्तकार हरिनारायण, रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्योनारायण व जगदीश दत्तक पुत्र महादेव थे जिनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 भाग का बेचान अपीलांट्स संख्या 1 व 2 के पिता स्व. लालचन्द, अपीलांट संख्या 3, रेस्पा0 संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1976 को निष्पादित किया। जिसके आधार पर दिनांक 16.02.1977 को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विकेता के हक में नामान्तकरण भी तस्दीक किया गया एवं अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता, अपीलांट संख्या 3, रेस्पा0 संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2026 अनुसार दर्ज हो गया। इसके पश्चात सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 01.06.1989 द्वारा खसरा नंबर 39 के नये खसरा नंबरान 57, 72, 73, 78, 79, 82 व 83 कायम कर उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी रेस्पा0 संख्या 1 के पिता जगदीश पुत्र महादेव के नाम अंकित कर दी एवं जमाबन्दी खतौनी में नोट अंकित कर दिया गया। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रकरण में अपीलांट्स के हक में विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका था। आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 695 अनुसार भू प्रबन्ध अधिकारी पक्षकारान को सूचित किये बिना न्यायालय से आदेश प्राप्त किये बिना स्वयं के स्तर से राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की प्रविष्टियों को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट्स का बिना पक्ष सुने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना जाहिर होता है। **According to RRD 1994 Page no. 129 Section 125:- Assistant Settlement Officer does not have the authority to make changes in the record of rights and any action on his part to confer khatedari rights is ab initio void (para 7).** अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली अनुपलब्ध होने के करण अपीलाधीन आदेश की वैधानिकता भी संदिग्ध प्रतीत होती है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर का आदेश दिनांक 01.06.1989 बाबत साबिक खसरा नंबर 39 वाके ग्राम हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथ प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम हरबंशपुरा तहसील सांगानेर स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 39 से बने नये खसरा नंबरान 57, 72, 73, 78, 79, 82, 83 कुल किता 7 कुल रकबा 0.83 है0 के संबंध में उभय पक्षकारान की मौके पर कब्जा काश्त स्थिति को देखते हुए उक्त वर्णित अपीलाधीन भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर में अपीलांट संख्या 1, 2 व अपीलांट संख्या 3, रेस्पा0 संख्या 2 का हिस्सा 1/2 एवं रेस्पा0 संख्या 1 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/7/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर